झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 371 राँची ,गुरुवार

23 श्रावण 1936 (श०)

14 अगस्त, 2014 (ई०)

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

संकल्प

13 अगस्त, 2014

विषय:- डॉ0 एम0पी0 पाण्डेय, तत्कालीन कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मामले में जांच हेतु एक सदस्यीय न्यायिक जांच समिति की गठन की स्वीकृति ।

संख्या-2469--झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम**, 2000 (**अंगीकृत**)** की धारा**-21 (7)** में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में माननीय राज्यपाल**-**सह**-**कुलाधिपति द्वारा डॉ0 एम0पी0 पाण्डेय**,** तत्कालीन कुलपति**,** बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कार्यकाल में बरती गयी वित्तीय अनियमितताएँ**,** प्राधिकृत समितियों में पारित प्रस्तावों की अनदेखी**,** अपने स्वजातीय**/**नजदीकियों को नियम के विरूद्ध लाभ पहुँचाने हेतु प्रोन्नति**/**उच्च पदों का प्रभारी बनाया जाना आदि एवं अन्य निष्पादित कार्यों में बरती गई अनियमितताओं में उनकी एवं संबंधित पदाधिकारियों**/**कर्मचारियों की जवाबदेही**/**संलिप्तता निर्धारित करने हेतु जॉच आयोग अधिनियम **1952** की धारा**-3** के तहत माननीय न्यायाधीश श्री विक्रमादित्य प्रसाद**,** अवकाश प्राप्त न्यायाधीश**,** झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जॉच समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 7 अगस्त, 2014 में मद सं0-01 के रूप में सम्मिलित किया गया । मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में उक्त न्यायिक जांच समिति का गठन किया जाता है ।

2. उक्त न्यायिक जाँच समिति अगर आवश्यक समझे तो वित्तीय मामले में वित्त विभाग के पदाधिकारी या महालेखाकार के पदाधिकारी की सेवा प्राप्त कर सकता है।

3. उक्त न्यायिक जाँच समिति को उक्त संदर्भित मामले की जाँच आदि हेतु जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-4 एवं 5 (अनु0-1) के अनुरूप अधिकार प्राप्त होगा।

4. न्यायिक जाँच समिति द्वारा डॉ0 एम0 पी0 पाण्डेय, कुलपति द्वारा उनके कार्यकाल में बरती गई अनियमितता एवं इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

5. उक्त न्यायिक जाँच समिति तीन माह में अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

6. उक्त न्यायिक जाँच समिति को सुव्यवस्थित कार्यालय (विश्वविद्यालय परिसर अंतर्गत) एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ यथा- टेलीफोन, वाहन चालक के साथ, स्टेनोग्राफर/कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

7. माननीय न्यायाधीश श्री विक्रमादित्य प्रसाद को झारखण्ड उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश के समतुल्य सुविधा देय होगी

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० नितिन मदन कुलकर्णी,

सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 371–50 ।